संख्या:7/2015/1068/26-2-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 24 अप्रैल, 2015

विषयः- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत नवीन चयन किये जाने वाले लाभार्थियों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अर्द्धशा0प0सं0-जे0-111013/1/2007-एन0एस0ए0पी0 दिनांक 23-9-2007 द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित **"राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना"** के नाम स्वरूप एवं मानक में परिवर्तन करते हुए यह निर्णय लिया गया था कि उक्त योजना का नाम **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** होगा। उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा समस्त पात्र लाभार्थियों को आच्छादित कर लिया गया है।

2- वर्ष 2014-15 में जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लगभग 38.60 लाख लाभार्थियों के विवरण को डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक किया गया था। अतएव अभी भी लगभग 4.75 लाख नये लाभार्थियों का चयन किया जा सकता है।

पात्रता

3- योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को चिन्हित करने हेतु सम्प्रति बी0पी0एल0 का मानक अपनाया जाएगा। इस हेतु बी0पी0एल0 की वह सूची मान्य होगी, जो राज्य सरकार द्वारा बी0पी0एल0 जनगणना, 2002 के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गयी है। शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को चयनित करने के लिए नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 का मानक अपनाया जाएगा। उक्त सहायता प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक (महिला/पुरूष) की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- पुनः भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या- जे-11015/1/2001-एन0एस0ए0पी0 दिनांक 30 जून, 2011 द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पात्रता सम्बन्धी शासनादेश को शिथिल करते हुए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत उम्र सीमा 65 वर्ष से कम कर 60 वर्ष कर दी गयी है। आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से सम्बन्धित होना चाहिए।

5- समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1228/26-2-2008 दिनांक 27 मई, 2008 द्वारा राज्य सरकार ने भी वृद्धावस्था/किसान पेंशन दिये जाने हेतु पात्रता निर्धारण के लिए पूर्व निर्धारित शर्तो में संशोधन करते हुए लाभार्थियों को चिन्हित करने हेतु बी0पी0एल0 का मानक अपनाये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों को चयनित करने के लिए नगरीय विकास एवं गरीबी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 का मानक अपनाया गया है।

6- वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत नवीन लाभार्थियों के चयन किये जाने विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-3022/26-2-2013 दिनांक 02-01-2014 के क्रम में कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा बी0पी0एल0 सूची से इतर एवं योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों के चयन किये जाने के सम्बन्ध में की गयी प्रेरच्छा के सम्बन्ध में पूर्व में ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' के अन्तर्गत बी0पी0एल0 सूची 2002 में पात्र व्यक्तियों का नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या जे-12-16/1/2006-एन0एस0ए0पी0 दिनांक 06.01.2014 द्वारा निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैं:-

In this connection, it is once again clarified that States/UTs may add new names and delete the ineligible names from the BPL List 2002 on a continuous basis during the validity period of the BPL List 2002 from providing benefits to the eligible beneficiaries under different schemes of NSAP. The additions and deletions from the BPL list should be done following a transparent and participatory process which should also include an appellate system.

इसका तात्पर्य यह है कि बी0पी0एल0 सूची में नये पात्र लाभार्थियों के नाम को जोड़ा जा सकता है, जो पेंशन योजनान्तर्गत पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं।

<u>नवीन लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया</u>

ग्रामीण क्षेत्र

7- शासनादेश संख्या-2013/6-26-2-99-11(26)/90 दिनांक 04 अगस्त, 1999 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन पेंशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृति की कार्यवाही ग्राम पंचायतों द्वारा की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कतिपय स्थानीय कारणों से ग्राम पंचायतों द्वारा कुछ पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति का प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को नहीं भेजा जाता है, जिसके कारण पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। उक्त कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष (2015-16) से नवीन लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं-

I. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत यदि किसी लाभार्थी का नाम बी0पी0एल0 सूची, 2002 में दर्ज नहीं है, परन्तु यदि वह बी0पी0एल0 श्रेणी का अभ्यर्थी है, एवं पेंशन सम्बन्धी अन्य पात्रता की शर्तो को पूरा करता है, तो उसका नाम बी0पी0एल0 सूची, 2002 में पेंशन प्रदान किये जाने हेतु जोड़ा जा सकता है।

II. सामान्य प्रक्रिया में योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले वृद्धजनों के आवेदन पत्रों को भरवाये जाने का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा पात्र लाभार्थियों का पारदर्शी तरीके से चयन कराने हेतु ग्राम पंचायतों की खुली बैठकें माह मई और जून में आहूत की जायेंगी और 30 जून तक लाभार्थियों की सूची को अन्तिम रूप देते हुए उसे खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय को अग्रसारित किया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा 07 दिवस के भीतर चयनित सूची को जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

III. जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विकास खण्डों से प्राप्त समस्त सूची को मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष रखा जायेगा एवं ग्राम सभा द्वारा चयनित लाभार्थियों का रैण्डम आधार पर विकास खण्ड/तहसील/जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन 15 दिवस के भीतर कराया जायेगा।

IV. तदुपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा रैंडम आधार पर किये गये सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाते हुए विभिन्न विकास खण्डों के पात्र लाभार्थियों की एक संकलित सूची बनायी जाएगी एवं संकलित सूची को मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष अन्तिम रूप से अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

V. **नवीन लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 31 जुलाई के पूर्व पूर्ण करा ली जाये** एवं नियमानुसार चयनित लाभार्थियों से संबंधित विवरण का आनलाइन फीडिंग जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विलंबतम 15 दिनों के अंदर कराया जाये।

VI. इस प्रकार सभी जनपदों में नवीन चयन की कार्यवाही नियमानुसार **विलंबतम 15 अगस्त तक** सम्पन्न कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नगरीय क्षेत्र

VII इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 का मानक अपनाये जाने की व्यवस्था है। नगरीय क्षेत्र में गरीबी के मानक यथा बी0पी0एल0 राशन कार्ड, अन्त्योदय कार्ड अथवा डूडा की सर्वेक्षण सूची में अंकित परिवारों को नवीन वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति हेतु पात्रता में मान्य किये जाने की नीति निर्धारित की गयी है। नगरीय क्षेत्रों में नवीन पेंशन स्वीकृति का अधिकार उपजिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट, जो नगर के प्रभारी अधिकारी होंगे, को है।

VIII उप जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा नगरीय क्षेत्र में पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन उनके नियंत्रण में कार्यरत् राजस्व कर्मियों के माध्यम से कराया जायेगा।

IX नगरीय क्षेत्र में भी नवीन लाभार्थियों का चयन विलंबतम 31 जुलाई तक कर लिया जायेगा एवं लाभार्थियों के समस्त विवरण के ऑनलाईन फीडिंग का कार्य जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 15 अगस्त तक सम्पन्न कर लिया जायेगा।

<u>निर्णय के विरूद्ध अपील की व्यवस्था</u>

8- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में यदि किसी पात्र व्यक्ति का चयन उपरोक्त व्यवस्थानुसार नहीं किया जाता है, तो वह अपना आवेदन निम्न व्यवस्था के अनुसार सीधे जिला समाज कल्याण अधिकारी को दे सकते हैं और जांचोपरांत नियमानुसार उनके चयन की कार्यवाही संपादित की जायेगी:

ग्रामीण क्षेत्र

I. यदि लाभार्थी इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में है, एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत, जहां का वह निवासी है, के द्वारा उसका प्रस्ताव ग्रामसभा की खुली बैठक के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति सीधे अपने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक प्रपत्रों यथा, उम्र से सम्बन्धित परिवार रजिस्टर की नकल की प्रति, बी0पी0एल0 सूची 2002 में उल्लिखित अपने ग्राम पंचायत की सूची की प्रति जहां का आवेदक निवासी है और उसका नाम उस ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची में उल्लिखित है, आवेदक द्वारा बैंक में खुलवाए गये सी0बी0एस0 खाते की पासबुक की छायाप्रति के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकता है।

II. जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा सम्बन्धित आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न किये गये प्रपत्रों की प्रारंभिक जांच की जायेगी एवं यदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर यह पाया जाता है कि आवेदक इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तों को पूरा करता है, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक के उक्त आवेदन-पत्र को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायत को 15 दिवस के भीतर आवेदक के चयन हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। यदि आवेदक पात्रता की शर्तो को पूरा नहीं करता है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक को यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया जायेगा कि किन कारणों से वह योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त किये जाने हेतु पात्र नहीं है।

III. खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाएगा कि वे 30 दिवस के भीतर सम्बन्धित ग्राम प्रधान को ग्राम सभा की खुली बैठक आहूत करने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दें, जिससे आवेदन देने वाले लाभार्थी का नाम ग्रामसभा की खुली बैठक में चयन के उपरान्त अनुमोदन हेतु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय को पुनः ससमय प्रेषित किया जा सके।

IV. यदि 30 दिवस के भीतर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी का चयन करते हुए अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय को प्रेषित नहीं किया जाता है तो पुनः खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित करते हुए 15 दिवस का अधिकतम् एक अवसर और प्रदान किया जाएगा। यदि इसके पश्चात् भी ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति का प्रस्ताव खुली बैठक कराये जाने के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रेषित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित ग्राम के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा डी0पी0आर0ओ0 के माध्यम से जिलाधिकारी के निर्देशन में ग्राम सभा की खुली बैठक आहूत कराकर पात्र लाभार्थी का चयन करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

V. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी के पात्रता के सम्बन्ध में सम्बन्धित सेक्टर के सहायक विकास अधिकारी से स्थलीय जांच कराकर आख्या प्राप्त की जाएगी एवं उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर लाभार्थी का वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत चयन करते हुए उसे जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को अनुमोदनार्थ भेजा जाएगा। खंड विकास अधिकारी द्वारा यह कार्यवाही अधिकतम 15 दिवस में सम्पन्न करायी जायेगी।

शहरी क्षेत्र

VI शहरी क्षेत्र में यदि कोई पात्र व्यक्ति छूट जाता है, तो वह अपना आवेदन-पत्र मय अभिलेखों के जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

और तदुपरांत प्रारंभिक जांच में अभिलेख के सही पाये जाने की दशा में जिला समाज कल्याण अधिकारी अपनी देख-रेख में इनका निरीक्षण करवाकर अपनी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को देंगे और मुख्य विकास अधिकारी अंतिम रूप से लाभार्थी का वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत चयन करेंगे।

9- इस अभियान को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होगें। जिलाधिकारी के स्तर पर इस अभियान की नियमित पाक्षिक समीक्षा की जायेगी।

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर/मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

केदार नाथ
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।